

कार्यालय, कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला मुंगेली (छ.ग.)

क्रमांक / / मबावि / सावि / 2023-24

मुंगेली, दिनांक

// विज्ञापन //

“मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु एकमुश्त संविदा मासिक वेतन में स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन”

भारत शासन ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला शक्ति केन्द्र हेतु एकमुश्त संविदा मासिक वेतन में स्वीकृत 08 पदों की पूर्ति की जानी है। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या					वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/ संविदा मासिक वेतन
		अजा	अजजा	अपिक्	अनारक्षित	योग		
1	जिला मिशन समन्वयक	0	0	0	1	01	10	31450
2	जेन्डर विशेषज्ञ	1	1	0	0	02	08	25780
3	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	1	1	0	0	02	07	20900
4	कार्यालय सहायक	0	0	0	1	01	06	18420
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	0	0	0	1	01	04	14200
6	मल्टी टास्क स्टाफ	0	0	0	1	01	02	11720
	योग	2	2	0	4	08	---	---

1. आवश्यक शर्तें :-

- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 1.1.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1.1.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, परंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या कक्षा 10वी. की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 2 बोनस अंक दिया जावेगा।
- शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेगे।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रूपयें के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् शासन को इस बात का समाधान हो जाये की ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट ले सकता है।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित /सत्यापित होना चाहियें।
10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण संलग्न करना होगा।
11. आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
12. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
15. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिये।
16. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
17. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
18. कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
19. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर महोदय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जायेगे।



2. आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेगे :-

1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये अधिकतम 60 प्रतिशत।
2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेगे, अधिकतम 18 प्रतिशत अंक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक।
4. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के अनुसार कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
5. वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।
6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरियता दी जायेगी।
7. प्राप्त आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुये चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियों में वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जावेगा।

3. चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें :- भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों का भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :-

जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जिला मिशन समन्वयक	समाज शास्त्र/जीवन विज्ञान/पोषण/स्वास्थ्य प्रबंधक/समाज कार्य/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री (बी.ए. समाजशास्त्र/सामाजिक कार्य, बी.एस.डब्ल्यू. बी.एस.सी. क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशियन, बी.एस.सी. फूड एंड न्यूट्रिशियन एंड डाइटैटिक्स, बी.ए. पब्लिक हेल्थ, बी.बी.ए. रूरल, मैनेजमेंट एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. आदि)	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस में कार्य करने की क्षमता	1. संबंधित क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव 2. कम से कम 03 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	1. स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता 2. अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
2	जेण्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग में कार्य करने की क्षमता	1. जेण्डर से संबंधित कार्य का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव 2. कम से कम 03 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	1. स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता 2. अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
3	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	अर्थशास्त्र/बैंकिंग/अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम. एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	वित्तीय साक्षरता/वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	1. स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता 2. अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
4	कार्यालय सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम. एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं/ गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
5	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर PMMVY	स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर कार्य/आई.टी. अन्य क्षेत्रों का ज्ञान	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम. एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	डाटा प्रबंधक/प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेबबेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं/ गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
6	मल्टी टास्क स्टाफ	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास	—	किसी भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं/ गैर सरकारी संगठन या निजी क्षेत्र में कम से कम 02 वर्षों का भूतय/साफ-सफाई आदि के कार्य का अनुभव	—

टीप :- संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/6629 /मबावि/सावि/23-24 दिनांक 5.10.2023 के निर्देश के अनुक्रम में "शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन अन्तः स्थापित किया गया है।"

4. नियुक्ति की अवधि :-

- इन समस्त पदों पर प्रथम बार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति एकमुश्त मासिक संविदा वेतन पर की जावेगी। कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रण अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता के आधार पर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

टीप :- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2024 कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक कलेक्टर कम्पोजिट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 256 कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मुंगेली (छ.ग.) में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा।